an>

Title: Need to review the eligibility norms under the Pradhan Mantri Awas Yojana.

श्री गणेश सिंह (सतना)ः प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ वर्ष 2011 के सामाजिक, आर्थिक जनगणना के आधार पर हितग्राहियों को देने का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायतों को जो सूची उपलब्ध कराई गई है, उस सूची में शामिल लगभग 20 से 30 प्रतिशत लोगों का वर्तमान में पक्का मकान बन चुका है। साथ ही बहुत से पात्र गरीब लोगों का नाम सूची में नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सतना जिले को वर्ष 2016-17 के लिए 29 हजार का लक्ष्य दिया गया है। जिले के हर क्षेत्र से जन शिकायत हो रही है कि जो गरीब हैं उनका नाम सूची में नहीं है और जिनके पास पहले से पक्का मकान बना है या जिन्हें पूर्व में इन्दिरा आवास का लाभ मिल चुका है ऐसे लोगों को पुनः प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ दिया जा रहा है। बीपीएल की सूची को आधार माना गया है। मैं भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि यह समस्या सतना जिले में ही नहीं बल्कि शायद पूरे देश में है। इसके क्या आधार होने चाहिए, उस पर विचार किया जाए, भारत सरकार से ऐसी मेरी माँग है।